| |
|---|
| दिनांक 13.07.2024 |
| प्रेस विज्ञप्ति 19/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## एस0टी0एफ0–सेवानिवृत्त वैज्ञानिक को सीबीआई आफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 1.29 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 12–07–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को सेवानिवृत्त वैज्ञानिक को सीबीआई आफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 1.29 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–**

1– प्रदीप कुमार सिंह पुत्र स्व0 जसवंत सिंह, उम्र– 50 वर्ष, निवासी 146, सेक्टर 6सी, गोपे"ा कुंज के पास, वृन्दावन योजना, थाना पीजीआई जनपद लखनऊ 226029 तथा मूल निवासी ग्राम खेमासराय, पोस्ट व थाना बीकापुर जनपद अयोध्या।

2– महफूज पुत्र स्व0 बकरीदी, उम्र– 21 वर्ष, निवासी 154, नबीउल्लाह रोड, न्यू बस्ती, रिवर बैंक कालोनी, थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ।

**बरामदगी–**

1– 02 अदद मोबाइल फोन।

2– 02 अदद पैन व आधार कार्ड

3– क्रिप्टो वैलेट से संबंधित दस्तावेज

**गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–**

इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ रोड थाना गोमती नगर विस्तार, लखनऊ। दिनांक– 12–07–2025 समय– 17.15 बजे।

उल्लेखनीय है कि बरेली निवासी भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक श्री शुकदेव नन्दी को वाट्सएप कॉल के द्वारा डराकर धमकाकर करीब 03 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके अलग–अलग खातों में लगभग 1.29 करोड़ रूपये

ट्रान्सफर करा लिया गया। जिसके संबंध में श्री शुकदेव नन्दी द्वारा दिनांक 26—06—2025 को थाना साइबर क्राइम, जनपद बरेली में मु0अ0सं0 16/2025 धारा 318(4), 319(2), 308(6), 61(2) व 111 बी0एन0एस0 व 66डी आई0टी0एक्ट0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग की विवेचना साइबर थाना बरेली द्वारा की जा रही थी। वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्री सुधांशु शेखर पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे टीम गठित द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

ज्ञातव्य है कि एसटीएफ द्वारा दिनांक 05—07—2025 को इस गैंग से सम्बंधित 04 सदस्यों को गिरफ्तार कर उपरोक्त पंजीकृत अभियोग में दाखिल किया गया था, जिसमें प्रदीप कुमार सिंह आदि वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

अभिसूचना संकलन के क्रम में तकनीकी विशेषज्ञता एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना पर नि0 श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में नि0 आदित्य कुमार सिंह, हे0का0 विनोद सिंह, हे0का0 गौरव सिंह, हे0का0 सुनील कुमार सिंह, हे0का0 अखिले"ा कुमार, हे0का0 प्रभाकर पाण्डेय हे0का0 शेरबहादुर तथा बरेली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियोग में वांछित एवं फरार चल रहे श्री नारायणी इंफ्रा डेवेलपर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार प्रदीप कुमार सिंह ने पूछताछ में बताया कि मैं श्री नारायणी इन्फ्रा डेवलपर प्रा0 लि0 कम्पनी का डायरेक्टर हूॅ। मैंने अपनी कम्पनी का आईसीआईसीआई बैंक में कार्पोरेट बैंक खाता सं0 125905001922 खोला है। इसका लेन—देन मेरे द्वारा किया जाता था। इस खाते का उपयोग डिजीटल अरेस्ट की धनराशि मंगाने में किया जाता है, जिसमें धनराशि आने के बाद इसमें पैसा निकाल का गैंग के अन्य सदस्यों को दिया जाता है। इसके लिए मुझे कमीशन मिलता है। जिन लोगों द्वारा पैसा मंगाया जाता है वह मुझे कमीशन बाइनेन्स एप के माध्यम से USDT के रूप में भेजते हैं। सेवानिवृत्त वैज्ञानिक श्री शुकदेव नन्दी से 1.29 करोड़ रूपये की जो ठगी की गयी थी उसका सारा पैसा मेरे ही खाते मंगवा कर आगे भेजा गया था। मुझे इस सम्बन्ध में बाइनेन्स एप पर अबतक 871

USDT प्राप्त हो चुके हैं, जो मुझे और प्राप्त होने थे। दिनांक 05–07–2025 को उसके कुछ साथियों को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण वह छिप–छिपा कर रह रहा था।

इसी क्रम में फ्राड के रूपये अपने एकाउंट में मंगाने वाले गैंग के अन्य सदस्य महफूज पुत्र स्व0 बकरीदी निवासी नबीउल्लाह रोड रिवरबैंक कालोनी नयी बस्ती, थाना वजीरगंज लखनऊ को लोहिया मोड तिराहा फैजाबाद रोड से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। जिसने पूछताछ में बताया कि रूपयों के लालच में आकर उज्जैब निवासी लकड़ी मोहाल सदर कैंट के कहने पर इंडियन बैंक के खाता खुलवाया था बदले में कमीशन देने की बात पर एटीएम व सिम उसको दे दिया था। मेरे खाते में फ्राड के अबतक लगभग 09 लाख रूपये आये है।

अभियुक्तों द्वारा बताये गये बैंक खाते, एवं बाइनेंस पर बनाये गये क्रिप्टो वालेट आदि की जानकारी व गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना साइबर क्राइम, जनपद बरेली में मु0अ0सं0 16/2025 धारा 318(4), 319(2), 308(6), 61(2) व 111 बी0एन0एस0 व 66डी आई0एक्ट0 में दाखिल किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

## <u>कमिश्नरेट लखऊ/थाना महानगर</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 47 हजार 30 रूपये नगद**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 04 घड़ी आदि बरामद**

दिनांक 12.07.2025 को थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त मिशेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 47 हजार 30 रूपये नगद, चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 04 घड़ी आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.07.2025 को थाना महानगर क्षेत्रान्तर्गत चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना महानगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना महानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मिशेल निवासी शंकर एन्क्लेव ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

**बरामदगी**

1–चोरी के 01 लाख 47 हजार 30 रूपये नगद।

2–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 04 घड़ी आदि।

## जनपद कौशाम्बी/थाना करारी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 12 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के लगभग 50 हजार रूपये कीमत के विदेशी मुद्रा आदि बरामद**

दिनांक 13.07.2025 को थाना करारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुलामीपुर नहर पुलिया के पास से 04 अभियुक्तों 1–सोनू 2–जितेन्द्र 3–अनिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 4–शारदा प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 12 हजार रूपये नगद, चोरी के लगभग 50 हजार रूपये कीमत के विदेशी मुद्रा आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.07.2025 को थाना करारी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना करारी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना करारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–सोनू निवासी इन्दिरा नगर थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

2–जितेन्द्र निवासी कृष्णनगर थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

3–अनिल निवासी इन्दिरा नगर थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

4–शारदा प्रसाद निवासी सोनारन टोला कस्बा व थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

**बरामदगी**

1–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 12 हजार रूपये नगद।

3–चोरी के लगभग 50 हजार रूपये कीमत के विदेशी मुद्रा आदि।

## जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 150.71 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 13.07.2025 को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मदनपुर गेट के पास से अभियुक्त सौरभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 150.71 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—सौरभ निवासी ग्राम मदनपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

**बरामदगी**

1—लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 150.71 ग्राम अवैध स्मैक।

———————